न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–01, वाराणसी

UPVR010056082026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1854 / 2026

गोविन्द पाल पुत्र स्व0 अर्जुन पाल,
निवासी बी 32 / 115ए नरिया, थाना लंका, वाराणसी।..... **आवेदक / अभियुक्त**

बनाम

उ0प्र0 राज्य.....**अभियोजक**

मुकदमा अपराध संख्या–22 / 1997
मुकदमा नं0–5180 / 1998
धारा–147,148,149,307,336,436,435,323,325 भा0दं0सं0
एवं धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ड एक्ट
थाना–लंका, वाराणसी।

दिनांक–06.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त **गोविन्द पाल** द्वारा मुकदमा अपराध सं0–22 / 1997 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,336,436,435,323, 325 भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट, थाना–लंका, वाराणसी के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनाक 20.02.1997 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के संबंध मे एम0पी0 थिएटर ग्राउंड मे स्थित क्रीड़ा भवन के प्रथम तल पर प्रत्याशियों का परिचय समारोह 02.00 बजे दिन मे निर्धारित था। जहाँ कुछ समय बाद श्री मनोज कुमार सिंह उर्फ काका जिनका महामंत्री पद हेतु नामांकन पत्र निरस्त किया जा चुका था, अपने पैनल के श्री कुन्दन कुमार सिंह एवं विकास कुमार गुप्ता जो क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, अपने 200–250 अन्य समर्थकों के साथ बड़ी–बड़ी लाठियों में झण्डा बैनर लगाये, नारे लगाते हुए सभा स्थल के गेट पर पहुँचे। कुन्दन कुमार सिंह एवं विकास कुमार गुप्ता को सभा में भाग लेने हेतु प्रवेश दे दिया गया। श्री मनोज कुमार सिंह उर्फ काका तथा उनके समर्थकों ने परिचय समारोह स्थल पर जाकर भाषण देने हेतु अनुमति चाही। उपस्थित अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है, अतः वे परिचय समारोह में भाषण देने हेतु अर्ह नहीं रह गये हैं। यह सुनते ही मनोज कुमार सिंह तथा उनके समर्थक साथी उत्तेजित हो गये। इसी बीच चीफ प्राक्टर प्रो० ओमकार सिंह भी अपने साथ के सुरक्षा कर्मियों के साथ वहाँ पहुंचे। श्री के०पी० यादव, मनोज कुमार सिंह उर्फ काका तथा उनके समर्थक सुरक्षा कर्मियों से धक्का–मुक्की करने लगे तथा बल्लियों पर चढ़कर जबरदस्ती सभा स्थल की ओर बढ़ने लगे। संजय सिंह एल०एल०बी० के छात्र ने चीफ प्राक्टर के उपर लाठी से प्रहार किया जो उन्हें न लगकर उनके साथ के सुरक्षा सुपरवाइजर श्री अमरजीत को लगा। इसी बीच अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर वाराणसी श्री बादल चटर्जी, अपर नगर मजिस्ट्रेट श्री के. पी. पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी भेलूपुर अपने दो साथियों के साथ तथा पुलिस बल भी वहाँ आ गया। सभी लोगों ने उपरोक्त मनोज कुमार सिंह उर्फ काका आदि को समझाने–बुझाने का काम किया। इसी बीच परिचय समारोह स्थल से सुधीर

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.07.06 14:26:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिंह, रूपेश कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, राजेश कुमार राय उर्फ डल्लू ने 10–12 लोहे की कुर्सिया हम लोगों के ऊपर फेंकी थानाध्यक्ष, थाना लंका श्री हसन अब्बास घायल हो गये। उमेश कुमार सिंह, अरविन्द कुमार शुक्ला, अजीत कुमार, हिमांशु तिवारी, रूपेश कुमार सिंह, सुधीर सिंह, राजेश कुमार राय डल्लू, कुन्दन कुमार सिंह, आशुतोष कुमार द्विवेदी, विकाश कुमार गुप्ता आदि ने छात्रों की भीड़ को उकसाया तथा भीड़ के तरफ से बढ़कर ईंट–पत्थर सुरक्षा कर्मियों, पुलिस बल एवं उपस्थित अधिकारियों के उपर, प्रहार करने लगे। भीड़ में से सुधीर सिंह, कुन्दन कुमार सिंह, के०पी० यादव, अरविन्द कुमार सिंह, अरविन्द तिवारी एवं कुछ अन्य लोगों ने कट्टे से फायर किया तथा बम भी फेंके। स्थिति भयावह देखकर पुलिस बल ने आंसू गैस के गोले दागे तथा हल्का बल प्रयोग करते हुए रबर बुलेट का भी प्रयोग कर भीड़ को तितर–बितर किया। इस घटना में श्री बादल चटर्जी, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर, वाराणसी, थानाध्यक्ष लंका श्री हसन अब्बास, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर वाराणसी के कर्मचारी अच्छेलाल, सोहन पाल आदि तथा अन्य कुछ पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा विभाग के सर्वश्री जनार्दन राय, सुबास राय, फतेह बहादुर सिंह, अमरजीत सिंह, बचनु पाण्डेय, रामनरेश, शिवचन्द राम समेत आदि को भी चोटे आईं तथा कुछ छात्रों को भी चोटें आईं। इस घटना से पूरे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त हो गया। मौके पर पवन कुमार मिश्रा, संजय सिंह, छात्र भूगोल, नागेन्द्र सिंह सभास्थल की कुर्सियों एवं बल्लियों में आग लगा दिये जिसे किसी प्रकार बुझाया गया। करीब 4.00 बजे शाम मामले से संबंधित अभियुक्तगण द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग के स्टोर मे आग लगा दिया गया तथा करीब 05.30 बजे शाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मुख्य पोस्ट ऑफिस के टिकट काउन्टर पर इन लोगों ने आग लगा दिया तथा करीब 06.00 बजे शाम न्यू मेडिकल गेट पर सुरक्षा गार्ड को लात मुक्का से मारा पीटा गया तथा शाम 06.00 बजे बिरला छात्रावास के पास बम फेंका गया। रात करीब 08.15 बजे मेडिकल कालेज की बस को अगवा कर बस में पेट्रोल छिड़क कर उसमे आग लगा दी गयी। रात 09.00 बजे विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्चेन्ज पर ड्यूटीरत सुरक्षा सैनिक को लाठी लात मुक्के से गंभीर रूप से घायल किया, जिससे उसके दांत टूट गये तथा टेलीफोन एक्सचेंज मे आग लगा दिया, जिससे विश्वविद्यालय का करीब साठ लाख रूपये का नुकसान हुआ। अभियुक्तगण द्वारा करीब 10.00 बजे रात विश्वविद्यालय परिसर के भारतीय स्टेट बैंक, शॉपिंग सेन्टर के शटर को तोड़कर आग लगा दिया गया तथा अंग्रेजी विभाग मे आग लगाने का प्रयास किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मे यह आधार लिया गया है कि उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप फर्जी मनगढ़न्त, सरासर झूठ उपार्जित व बनावटी कथानक बनाकर उपरोक्त मुकदमा अपराध में आरोपित किया गया हैं, जिसमें थोड़ी भी सच्चाई नही हैं। आवेदक/अभियुक्त वर्तमान समय में वाराणसी में अधिवक्ता का कार्य करता है तथा रेगुलर प्रैक्टिसनर हैं। उपरोक्त मुकदमा काशी हिन्दू विश्वविधालय के छात्र रहने दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कथित घटना से किसी प्रकार का संम्बध नही हैं, सिर्फ काशी हिन्दू विश्विद्यालय में छात्र होने के चलते छात्र संघ प्रत्याशी का जुलूस निकला था, जिसमें वह शामिल भी नही था। आवेदक/अभियुक्त किसी छात्र संगठन का सदस्य भी नही था, न ही किसी से कोई सम्बध था। आवेदक/अभियुक्त का पुस्तैनी मकान नरिया पर था और नरिया गेट को काशी हिन्दू विश्वविशालय के चीफ

प्राक्टर/प्राक्टोरिल बोर्ड एवं विश्वविद्यालय प्रशासन बंद करना चाहता था, जिसका क्षेत्रिय जनता एवं दक्षिणी निकाय के विश्वविद्यालय के छात्र विरोध करते थे, जिनका साथ आवेदक/अभियुक्त भी दे देता था, उक्त बातों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग रंजिश रखते थे। आवेदक/अभियुक्त विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में परिचय समारोह जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कराया जाता था, उसमें वह गया भी नही था। आवेदक/अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई विवाद प्राक्टोरियल बोर्ड से अथवा किसी घटना में शामिल होने का नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्त किसी भी घटना का अंजाम नहीं दिए अथवा न ही किसी का साथ दिए। दिनांक 20.02.1997 की घटना के समय सभी दल के छात्र संघ चुनाव में विरोधी प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ रहे थे। किसी का साथ देने का कोई आशय नही था। जो आपस में एक ही पद पर चुनाव में विरोधी थे। साथ ही साथ सबका अलग अलग संगठन था, इसलिए एक जुट होकर व एक साथ होकर किसी प्रकार का घटना कर ही नहीं सकते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उक्त तिथि को दो छात्रों सर्वेन्द्र मिश्र व मनोरंजन सिंह की मौत हो गई, जिसमे चीफ प्राक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने का मॉग छात्रनेता जो चुनाव लड़ रहे थे, वे करने लगे थे। आवेदक/अभियुक्त का उक्त से भी कोई वास्ता सरोकार नहीं था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को रोकने की नीयत से सोची समझी रणनीति बनाकर दबाव बनाने हेतु उक्त मुकदमा अभियोजन पक्ष द्वारा लिखवा गया। उक्त मुकदमें की जानकारी बावत किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा किसी प्रकार की सूचना आज तक हम आवेदक/अभियुक्त को नहीं दिया गया। उक्त मुकदमा अपराध को उ० प्र० सरकार द्वारा वापस लेने का आदेश स्व० के. पी. यादव के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिया गया था। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा को भारी क्षति हो सकती है। जो भी मुकदमें चार्जशीट दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उल्लेखित किये गये हैं, उसमें आवेदक/अभियुक्त को बरी किया जा चुका हैं। आवेदक/अभियुक्त के सदर्भ में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं हैं जिससे प्रमाणित हो सके कि वह कथित घटना में संलिप्त रहा हो। आरोप पत्र दूषित दाखिल किया गया है। उक्त मुकदमें में अग्रिम जमानत उमेश कुमार सिंह व अरविन्द कुमार शुक्ल व अरविन्द तिवारी का न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहाँ से हो गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध से उसका कोई लेना–देना नहीं है और न ही उसने उक्त अपराध कारित किया है और न ही उसके विरूद्ध किसी प्रकर का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य ही है।आवेदक/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास काशी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दर्ज कराये गए मुकदमें के अतिरिक्त कहीं भी नही हैं। आवेदक/अभियुक्त वाराणसी कोर्ट में ही प्रैक्सिनर है जिसके पलायन होने की कोई सम्भवना नहीं हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा उचित जमानत एवं मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

4. विद्वान सहायक जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के परिप्रेक्ष्य में जमानत प्रार्थना पत्र एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 20.02.1997 को मुख्य सुरक्षा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय श्री आर0के0 तिवारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147,148,149,323,307,324,436,335,332 भा0दं0सं0, 4/5

विस्फोटक अधिनियम व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ड एक्ट में दर्ज करायी गयी, जबकि धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ड के अन्तर्गत दर्ज करने के लिये संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी को वादी होना चाहिये। बाद विवेचना जो आरोपपत्र प्रेषित किया गया वह धारा–147,148,149,307,336,436,435,323,325 भा0दं0सं0 एवं धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ड एक्ट में प्रेषित किया गया तथा धारा–4/5 विस्फोटक अधिनियम का लोप किया गया। जबकि इस मामले में कई लोगों को चोटहिल होना बताया गया है, जिसमें कुछ लोगों को फायर आर्म इंजरी आयी जैसा कि उपेन्द्र नाथ सिंह के संबंध में आघात आख्या स्पष्ट करती है। इस मामले में देखा जाये तो पहले विवेचना संबंधित थाना लंका के द्वारा की गयी बाद में विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 को सुपुर्द की गयी और आरोपपत्र प्रेषित हुआ। मामले में जो प्रथम बार नक्शा–नजरी दिनांकित 17.03.1997 निर्मित किया गया, उसमें एम0पी0 थियेटर ग्राउण्ड प्रदर्शित किया गया है, उसको देखा जाये तो उसमें घटनास्थल पर 'ए' स्थान पर चीफ प्राक्टर पर हमला होना बताया गया है। परन्तु किस स्थान से अभियुक्तगण आये और वे हमला किये उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य नक्शा नजरी दिनांकित 28.03.1997 केस डायरी में संलग्न है, जिसमें टेलीफोन एक्सचेन्ज के जलने व पोस्ट आफिस को तोड़फोड़ दिखाया गया है, उसके संबंध में भी यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण किधर से आये और उक्त घटना को अंजाम दिये। सी0डी0 पर्चा संख्या–19 में गंगेश पति त्रिपाठी का बयान विवेचक ने अंकित किया है जिसमें उसके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि हॉकी, डण्डा व राड लेकर आये और गेट खोलने के लिये कहे और गेट खोलने के लिये मना किये, परन्तु यह भी उल्लिखित किया गया है कि वह घटना कारित करने वाले लोगों में से किसी को नाम से नहीं जानता, आने पर पहचान सकता है। उक्त साक्षी भी चोटहिल है, जिसके आघात आख्या का उल्लेख भी इसी पर्चे में किया गया है। इसी प्रकार संतराम मिश्रा का भी बयान अंकित है, जिसमें एक गंभीर चोट फायर आर्म से आने की बात बतायी गयी है।

7. अग्रेतर जो विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की गयी है उसके सी0डी0 पर्चा संख्या–2 कागज संख्या–21अ/15 में देखा जाये तो उसमें महेन्द्र प्रताप सिंह राठौर का बयान अंकित किया गया है। उसने देखा कि ए0डी0एम0, सिटी बादल चटर्जी कुछ पुलिस कर्मी छात्रों की तरफ दौड़े और दौड़ते हुये अपनी रिवाल्वर से फायर करते हुये चले जा रहे थे। बी0एच0यू0 के सुरक्षाकर्मी भी जिनके पास बन्दूक थी, वे भी फायर कर रहे थे, इसके बाद पुलिस ने भी फायर करना शुरू किया। तब वह दौड़ता हुआ ए0डी0एम0 सिटी के पास पहुॅचा और फायरिंग बन्द करने के लिये कहा तब उन्होंने कहा कि छात्रों को रोको अन्यथा फायरिंग होती रहेगी। इसके बाद छात्रों की तरफ उपरोक्त साक्षी गया और हाथ उठाकर संयम बरतने के लिये कहा। उपरोक्त बयान के प्रकाश में जमानत प्रार्थनापत्र के प्रस्तर–5 को देखा जाये तो उसमें उल्लिखित है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों को मारा–पीटा गया और उन्हें अभियुक्त बना दिया गया। दौरान बहस इस तथ्य को उल्लिखित किया गया कि प्रशासन के द्वारा चलायी गयी गोलियों से कुछ लोग मर गये थे उससे बचने व दबाव बनाने के लिये एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह विचारण की विषयवस्तु है। साक्षी अमरजीत सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 द0प्र0सं0 में उल्लिखित किया है कि भीड़ इतनी अत्यधिक थी कि वह किसी छात्र नेता को नहीं पहचान पाया था। इसी प्रकार बयान फतेह बहादुर, शिवनन्द, सुभाषचन्द्र राय, हरिश्चन्द्र सिंह ने भी दिया है। सम्पूर्ण बयानों

को देखा जाये तो चोटहिल होने की बात तो कही जा रही है, परन्तु किसके द्वारा चोट पहुॅचायी गयी, इसका उल्लेख नहीं है। जैसा कि साक्षी सुभाषचन्द्र राय ने भी अपने बयानों में उल्लिखित किया है कि वह लड़कों को जान–पहचान नहीं सका जो पत्थर चला रहे थे। इसी प्रकार जो वादी मुकदमा रमाकान्त तिवारी हैं, जिनका बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत पर्चा नं0–4 कागज संख्या–21अ/56 में अंकित है, उसमें कागज संख्या–21अ/58 को देखा जाये तो विवेचक द्वारा पूछे गये प्रश्न कि, वह घटना के समय न तो मौजूद थे और न ही उनके द्वारा घटना देखी गयी तो किस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों को नामित किया गया। इस संबंध में साक्षी ने उत्तर दिया है कि संबंधित प्राक्टर व डिप्टी प्राक्टर आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर अंकित करने के लिये दी गयी थी। स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा घटना का आधार संयुक्त रिपोर्ट को लिया गया है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से यह कहा गया कि अभियुक्त के गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है, न ही उनकी किसी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के सम्बन्ध में भ्रामक एफ0आई0आर0 लिखी गयी है। प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना के दौरान बिना गिरफ्तार किये अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित् किया गया तथा दिनांक 03.03.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था एशियन रिसर्फेसिंग आफ रोड एजेंन्सी प्रा0लि0 बनाम सी0बी0आई0 आदेश दिनांकित 28.03.2018 का उल्लेख करते हुए पत्रावली में अभियुक्तगण के सम्बन्ध में आदेशिका जमानतीय अधिपत्र रूपये बीस हजार जारी की गयी। इस प्रकार अभियुक्त की गिरफ्तारी की आशंका के सम्बन्ध में पत्रावली पर पर्याप्त तत्व विद्यमान हैं। मामले में अन्य सह अभियुक्तगण **उमेश कुमार सिंह, अरविन्द कुमार शुक्ल एवं अरविन्द तिवारी** द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। तद्नुसार आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गोविन्द पाल** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा रूपये **1,00,000/–** **(रूपये एक लाख)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि अभियुक्त विचारण में सहयोग प्रदान करेगा तथा मामले से संबंधित किसी भी साक्षीगण को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा बिना न्यायालय की अनुमति के देश के बाहर नहीं जायेगा तथा न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक को सदेह उपस्थित होगा और आरोप विरचन तथा विचारण की कार्यवाही में भाग लेगा, दाखिल किये जाने पर, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।

(संध्या श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, वाराणसी।

दिनांक–06.07.2026

जे.ओ.कोड नं.– यू0पी0 6203